न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गूर्जर, **R.A.S.**

प्रकरण सख्याः—175/2012 दायर दिनांकः—28.12.2012

जीसीएमएस नं 2012/00433

1. मुन्शी खा पुत्र गुलाब खॉ आयु 45 साल जाति मुसलमान निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन हाल सूरौठ जिला करौली राज0
2. मुन्नादीन पुत्र गुलाब खॉ आयु 54 साल जाति मुसलमान निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन हाल सूरौठ जिला करौली राज0
3. बसन्ती बेबा गुलाब खॉ आयु 80 साल जाति मुसलमान निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन हाल सूरौठ जिला करौली राज0

————सायल

बनाम

1. भरतलाल पुत्र ठण्डीराम आयु 50 साल जाति मीना निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन सिटी हाल सूरौठ जिला करौली राज0
2. सुंरेश पुत्र भरतलाल आयु 35 साल जाति मीना निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन सिटी हाल सूरौठ जिला करौली राज0
3. महेश पुत्र भरतलाल आयु 32 साल जाति मीना निवासी सूरौठ तहसील हिडौन सिटी हाल सूरौठ जिला करौली राज0
4. नरेश पुत्र भरतलाल आयु 30 साल जाति मीना निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन सिटी हाल सूरौठ जिला करौली राज0
5. सीमा पत्नि भरतलाल आयु 45 साल जाति मीनाप निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन हाल सूरौठ जिला करौली राज0
6. कुसुम पुत्री भरतलाल आयु 25 साल जाति मीना निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौनसिटी हाल सूरौठ जिला करौली राज0
7. अनीता पुत्री भरतलाल आयु 22 साल जाति मीना निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन सिटी हाल सूरौठ जिला करौली राज0
8. राजकुमारी पत्नि सुरेश आयु 30 साल जाति मीना निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन हाल सूरौठ जिला करौली राज0
9. सीमा पत्नि महेश आयु 28 साल जाति मीना निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन हाल सूरौठ जिला करौली राज0
10. तहसीलदार साहब तहसील हिण्डौनसिटी हाल [illegible] जिला करौली राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:10:10 IST
Reason: SelfAttested

——गैरसायलान 10

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः— 1. श्री संजय शर्मा अधिवक्ता सायलान
2. श्री पी.एल. गोयल अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय

दिनांकः—02.08.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 578 रकवा 0.35 ऐयर, 1222 रकवा 0.20 ऐयर, 1242 रकवा 0.80 ऐयर, 1550 रकवा 23 ऐयर, 1551 रकवा 0.01 ऐयर, 1552 रकवा 0.32 ऐयर, 1561 रकवा 0.39 ऐयर, 1562 रकवा 0.57 ऐयर बाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली में स्थित है।

उपरोक्त आराजीयात के खसरा नं0 1222 रकवा 0.20 एयर में से गैर सायलान के पिता स्व0 श्री ठण्डीराम पुत्र सांवलिया ने अपने जीवनकाल में खसरा नं01222 रकवा 0.20 ऐयर जो रास्ता स्टेशन रोड से वण्डों के पुरा के लिए जाता है। जिस पर आवासीय भूखण्ड मौके पर बनाकर बना दिये थे।

सायलान के पिता स्व0 श्री गुलाब खॉ पुत्र सूक्का तेली ने आराजीयात खसरा नं0 1222 रकवा 0.20 ऐयर की भूमि में से दो आवासीय भूखण्ड 10 गज x 42 गज का 35 रू0 वर्ग गज के हिसाब से एवं एक आवासीय भूखण्ड 10 गज x 40 गज का 37 रू0 वर्गगज के हिसाब से कुल रकम 30,240 रू0 ठण्डीराम को अदा कर जरिये स्टाम्प खरीद कर मौके पर वाकई गैर सायलान के पिता एवं पति ने सायलान के पिता को कब्जा दिनांक 02.11.1985 को संभला दिया तथा उसी समय सायलान के पिता को स्टाम्प पर लिखापढी कर गवाहान पून्याराम एवं पृथ्वीसिंह मीना के एवं बकलम बद्रप्रसाद मीना ने लिखकर गैर सायलान के पिता ने वैसाख उसी समय दोनों भूखण्डों पर एक पर तीन गैह दुपल्ला पादौरपोश मकान एवं एक आवासीय भूखण्ड पर चार गैह दुपल्ला पादौरपोश बनाकर उसमें रिहायश के काम उसी समय से लेते चले आ रहे हैं। जिस पर सायलान के पिता ने अपने नाम बिजली एवं नल का कनेक्शन कराकर उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। तथा सायलान के पिता की मृत्यु के बाद सायलान उक्त आवासीय भूखण्डों पर काबिज आज तक है। तथा उसी समय से मवेशियों के लिए खनौटे एवं बांधते चले आ रहे हैं। तथा कुछ हिस्से पर ईंधन बगैरह की लकडियॉ डाल रखी हैं। इस प्रकार सायलान का उक्त भूमि पर एडवर्स कब्जा करीब 27 साल से बिना किसी विवाद के करते चले आ रहे हैं। इसलिए उक्त भूमि पर सायलान को एडवस्र पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित करने के अधिकारी हो गये है।

वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित भूमि के खसरा नं0 1222 रकवा 0.20 ऐयर की भूमि पर खातेदार एवं गैर सायलान का भी कब्जा आज तक नहीं है। जिसके लिए गैर सायलान श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डौनसिटी ने गैर सायलान के खिलाफ धारा 175, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय में दावा विचाराधीन है। जिसमे आगामी तारीख पेशी 10.01.2013 नियत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:10:10 IST
Reason: SelfAttested

सायलान अपने रिहायशी मकान में करीब 27 साल से बिना किसी विवाद के रिहायश करते चले आ रहे हैं। दिनांक 24.12.2012 को गैर सायलान भरतलाल व उसके परिवारवाले एकराय होकर हाथों में लाठी डंडा लेकर आये और सायलान से

फौस मॉ बहिन की गन्दी गन्दी गालियॉ देने लगे कि साले ये हमारी खातेदारी की भूमि है। हम तुमको इस भूमि से बेदखल करके रहेगें तब सायलान ने हाथ जोडकर कहा कि भाई तुम्हारे पिता से हमारे पिता ने आज से करीब 27 साल पहले खरीद कर आवासीय भूखण्ड के काम में बदस्तूर लेते चले आ रहे हैं। आज आप इस भूमि से क्यों बेदखल करना चाहते हो। गैर सायलान एकदम आग बबूला हो गये और सायलान को जान से खत्म करने पर हमलावर हुए और ऐलानिया धमकी दी कि साले इस भूमि को खाली नहीं किया तो तुम्हे जान से खत्म करके रहुंगा। और सायलान की आवासीय भूखण्ड पर जबरदस्ती ईंधन डालकर कब्जाकर सायलान को बेदखल करना चाहता है। तथा उक्त भूखण्ड को चोरी छिपे किसी दीगर व्यक्ति को अच्छे रूप्ये में बेचना चाहता है। अगर गैर सायलान ने उक्त भसूमि को किसी अन्य दीगर व्यक्ति को रहनव एवं सायलान को बेदखल कर दिया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी द्रव्य से संभव नहीं है। सयायलान का केश प्राइमाफेसी पूर्ण रू‌‍‍प से कब्जे के आधार पर एवं एडवर्स पजेशन के आधार पर पूर्ण रू‌प से साबित है। सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में साबित है। इसलिए गैर सायल को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से शीघ्र ही पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान पेश कर निवेदन है कि गैर सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि आराजीयात खसरा नं0 1222 रकवा 0.20 ऐयर वाके ग्राम सूरौठ पर वादीगण के कब्जा की रिहायशी भूखण्ड 20 गज ग 42 गज के उपयोग उपभोग में वाधा किसी प्रकार की उत्पन्न नहीं करें नाही किसी अन्य से करावें रिहायश से बेदखल नहीं करें, नाही किसी प्रकार का उक्त रिहायशी भूखण्ड में कब्जा एवं निर्माण आदि नहीं करें एवं प्रतिवादी नं0 10 को इस आशय से पाबन्द फरमावें कि विवादित भूमि के रिकार्ड एवं मौके स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 ता 3, 5 ता 7 की ओर से श्री पी.एल. गोयल अधिवक्ता जरिये वकालतन उपस्थित आये एवं गैरसायलान न0 4, 8, 9 की ओर से श्री हुकम गुर्जर अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। प्रकरण में गैर सायल नं0 10 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर गैर सायल नं0 10 के विरूद्ध आदेशिका दिनांक 16.11.2015 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। गैरसायल नं0 4, 8, 9 अधिवक्ता को जबाव व वकालतनामा पेश करने हेतु बार बार अवसर दिये गये परन्तु जबाव व बकालतनामा पेश नहीं करने पर आदेशिका दिनांक 26.02.2021 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की गई। एवं गैरसायल 1 ता 3, 5 ता 7 अधिवक्ता को जबाव हेतु बार बार अवसर दिये गये जबाव पेश नहीं करने पर आदेशिका दिनांक 25.06.2024 द्वारा जबाव बन्द किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:10:10 IST
Reason: SelfAttested

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2067–70 खाता संख्या 420 खसरा नं0 578 रकवा 0.35 है0 1222 रकवा 0.20 है0, 1242 रकवा 0.08 है0, 1550 रकवा 0.23 है0, 1551 रकवा 0.01 है0, 1552 रकवा 0.32 है0, 1561 रकवा 0.39 है0, 1562 रकवा 0.57 है0, वाके ग्राम सूरौठ तहसील

हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ, नकल खसरा गिरदावरी 2059–62, 2055–2058, 2047–50, जलदाय विभाग का बिल संख्या 1012, बिजली बिल संख्या 5422, बिजली बिल खाता संख्या 16010281, 16010326 तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है, साथ ही गैरसायलान वकील द्वारा अपनी बहस में विवादित आराजी गैर सायलान के खातेदारी की भूमि है है जिस पर सायल एडवर्स पजेसन के आधार पर खातेदारी लेना चाहता है, जो विधि संमत नहीं है, प्रार्थना पत्र बावत अस्थायी निषेद्याज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी संवत 2067–70 खाता संख्या 420 खसरा नं0 578 रकवा 0.35 है0 1222 रकवा 0.20 है0, 1242 रकवा 0.08 है0, 1550 रकवा 0.23 है0, 1551 रकवा 0.01 है0, 1552 रकवा 0.32 है0, 1561 रकवा 0.39 है0, 1562 रकवा 0.57 है0, वाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ में भरतलाल, लखन, हुकम, चतर पुत्र ठण्डी, लखनवाई पुत्री ठण्डी, ढकेली बेबा ठण्डी जाति मीना निवासी ग्राम खातेदार हिस्सा 1/3, हुकम चतर लखनवाई, ढकेली का हिस्सा 2/3 दर्ज रिकार्ड है। नकल खसरा गिरदावरी 2059–62, 2055–2058, 2047–50, वाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ में गैर खातेदार गैरसायल 1 के पिता के नाम दर्ज रिकार्ड है। सायल द्वारा उक्त विवादित भूमि पर कब्जे के संबंध में जलदाय विभाग का बिल संख्या 1012, बिजली बिल संख्या 5422, बिजली बिल खाता संख्या 16010281, 16010326 में सायल के पिता के नाम दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी ख0 न0 1222 रकबा 0.20 ऐयर स्थित ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ में दर्ज खातेदार गैरसायल भरतलाल व उसके पिता, मॉ व बहन के नाम दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकरन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन करने पर इस नतीजे पर पहुचे कि जमाबन्दी संवत 2067–70 खाता संख्या 420 खसरा नं0 578 रकवा 0.35 है0 1222 रकवा 0.20 है0, 1242 रकवा 0.08 है0, 1550 रकवा 0.23 है0, 1551 रकवा 0.01 है0, 1552 रकवा 0.32 है0, 1561 रकवा 0.39 है0, 1562 रकवा 0.57 है0, वाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ में भरतलाल, लखन, हुकम, चतर पुत्र ठण्डी, लखनवाई पुत्री ठण्डी, ढकेली बेबा ठण्डी जाति मीना निवासी ग्राम खातेदार हिस्सा 1/3, हुकम चतर लखनवाई, ढकेली का हिस्सा 2/3 दर्ज रिकार्ड है। नकल खसरा गिरदावरी 2059–62, 2055–2058, 2047–50, वाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ में गैर खातेदार गैरसायल 1 के पिता के नाम दर्ज रिकार्ड है। सायल द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य से जाहिर होता है कि उक्त विवादित आराजीयात की खातेदारी सायल की न होकर गैरसायल नं0 1 व उसके पिता की

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:10:10 IST
Reason: SelfAttested

एवं बहन के नाम दर्ज रिकार्ड है। सायल उक्त प्रकरण एडवर्स पजेसन के आधार पर लाया है परन्तु उक्त वाद को अपने पक्ष में साबित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य सबूत पेश करने में असफल रहा है। जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी ख0 न0 1222 रकबा 0.20 है0 स्थित ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:10:10 IST
Reason: SelfAttested